न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-14RAAJodhpur2022-04RTA223 Lrs of Mehardin Vs Hajaro etc
2022-15RAAJodhpur2022-05RTA223 Lrs of Mehardin Vs Hajaro etc

मेहरदीन पुत्र बागे खॉ के कायम मुकामः—
01. हफीजउल्ला पुत्र मेहरदीन
02. इब्राहिम पुत्र बागे खॉ
03. इमामदीन पुत्र बागे खॉ
04. इस्माईल पुत्र बागे खॉ
सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण— डुमा डेयरी उर्फ खानपुरा जालोड़ा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर वर्तमान जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

01. हाजरो पत्नी निजामदीन
02. सखीनों पुत्री निजामदीन
जातियान् मुसलमान, निवासीगण— डुमा डेयरी उर्फ खानपुरा जालोड़ा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर वर्तमान जिला फलोदी।
03. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी/लोहावट जिला जोधपुर वर्तमान जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04 जून 2018 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 224/2016 हाजरो बनाम मेहरदीन इत्यादि

---

(02)2022-15RAAJodhpur2022-05RTA223 Lrs of Mehardin Vs Hajaro etc

मेहरदीन पुत्र बागे खॉ के कायम मुकामः—
01. हफीजउल्ला पुत्र मेहरदीन
02. इब्राहिम पुत्र बागे खॉ
03. इमामदीन पुत्र बागे खॉ
04. इस्माईल पुत्र बागे खॉ
सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण— डुमा डेयरी उर्फ खानपुरा जालोड़ा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर वर्तमान जिला फलोदी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. हाजरो पत्नी निजामदीन
02. सखीनों पुत्री निजामदीन
    जातियान् मुसलमान, निवासीगण– डुमा डेयरी उर्फ खानपुरा जालोड़ा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर वर्तमान जिला फलोदी।
03. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी/लोहावट जिला जोधपुर वर्तमान जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2019 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 183/2019 हाजरो बनाम मेहरदीन इत्यादि

उपस्थित–
श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 16 अक्टूबर 2024 (16 दिसम्बर 2024)

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 224/2016 अनवान हाजरों बनाम मेहरदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04 जून 2018 एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 183/2019 अनवान हाजरों बनाम मेहरदीन इत्यादि में निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2019 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 12 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की है। अपीलांट्स ने दोनो अपीलों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपीले प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 142 रकबा 0.06 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 143 रकबा 171.11 बीघा ग्राम डुमाडेरी उर्फ खानपुरा तहसील लोहावट के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04 जून 2018 पारित कर तहसीलदार लोहावट से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील संख्या 04/2022 प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात दिनांक 12.12.2018 को जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक 11251 दिनांक 06.11.2018 की पालना में पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) फलोदी को स्थानांतरित कर दी गई। तहसीलदार लोहावट से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2019 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील संख्या 05/2022 प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.10.2016 से लगाकर दिनांक 15.05.2017 तक न तो कोई नोटिस जारी किये गये न कोई तामील करवायी गई। इसी प्रकार से केम्प कोर्ट जालोड़ा में पत्रावली रखने की सूचना भी अपीलांट को नहीं दी गई। तारीख पेशी 16.09.2017 से लगाकर दिनांक 04.06.2018 तक अपीलांट को न तो कोई नोटिस भेजा गया और न ही अपीलांट पर तामील ही कराया गया। अचानक ही पत्रावली को केम्प कोर्ट में रखकर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट पर न तो सम्यक तामील करवायी गई तथा न ही उसे सुना गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय को इस तथ्य की जानकारी हुई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि अपीलांट्स को सुने बिना ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, तब विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को नोटिस जारी किये गये। तब अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। यह उल्लेखनीय है कि अंतिम डिक्री जारी होने से पूर्व प्रतिवादी मेहरदीन का देहांत हो गया था। विचारण न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी मेहरदीन के वारिसान् को रेकर्ड पर लिये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की है जो शुरूआत से ही विधि–विरूद्ध होने से अपास्त योग्य हैं। तहसीलदार लोहावट द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त न तो स्वयं मौके पर गये और न ही अपीलांट्स को सूचित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया तथा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि–विरूद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स अनपढ व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स द्वारा सर्वप्रथम हल्का पटवारी से जमाबंदी की प्रति लेने पर बताया गया कि आपके खेत का विभाजन हो गया है, तब अपीलांट्स ने दिनांक 21.02.2021 को विचारण न्यायालय के समक्ष नकल हेतु आवेदन किया एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकले प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाये जाकर दोनो अपीले अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 224/2016 अनवान हाजरों बनाम मेहरदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04 जून 2018 एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 183/2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनवान हाजरों बनाम मेहरदीन इत्यादि में निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2019 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करते समय पक्षकारान् के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है तथा बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि को उनके हिस्से में ही सामलाती रखा गया है तथा उनके नाम दर्ज रकबे में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई है। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित हुए, जिन्हे जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तब विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा मामले में गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं उठाया गया है तथा न ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये उनके हक– अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े जाने का प्रश्न उठाया गया है। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपीले प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाते है तथा दोनो अपीले म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04 जून 2018 पारित कर वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 142 रकबा 0.06 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 143 रकबा 171.11 बीघा ग्राम डुमाडेरी उर्फ खानपुरा तहसील लोहावट में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाना नहीं पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा अपील स्तर पर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से अपने हक–हिस्से में परिवर्तन बाबत कोई उज्र नहीं उठाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये पक्षकारान् के जमाबंदी में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है। लिहाजा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर खारिज योग्य है

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.01.2019 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार लोहावट द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित नहीं किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिविरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04 जून 2018 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 04/2022 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है। अपील संख्या 05/2022 स्वीकार किये जाने योग्य पाये से तदनुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मूल वाद संख्या 183/2019 अनवान हाजरों बनाम मेहरदीन इत्यादि में निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2019 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार लोहावट से उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब कर, उस पर पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 09 जनवरी 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर